Seat No. : _____

N18-101-H

December-2014

B.Com., Sem.-V (CBCS)

303 : Business Law – I

Time : 3 Hours] **[Max. Marks : 70**

(Hindi Version)

1. (A) "सभी करार समझौते होते हैं, लेकिन प्रत्येक समझौता करार नहीं होता है ।" इस कथन की वैध करार के तत्त्वों के साथ व्याख्या कीजिए । **6**

अथवा

भारतीय करार अधिनियम के अंतर्गत, अवयस्क के लिए प्रावधान बताएँ ।

(B) अवपीड़न (Coercion) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें । **4**

अथवा

"अमान्यकरणीय करार" पर लघु टिप्पणी लिखें ।

(C) उत्तर दें : **4**

(1) करार क्या है ?

(2) अमान्य करार क्या है ?

अथवा

उत्तर दें :

(1) अमान्य समझौता क्या है ?

(2) 'वयस्क' को परिभाषित करें ।

2. (A) भारतीय करार अधिनियम के अंतर्गत आपातिक करार के प्रावधानों को बताएँ । **6**

अथवा

"करार के पूर्वाभासी उल्लंघन" को समझायें ।

(B) "एवज (Consideration) के बगैर किया गया करार अमान्य है ।" इस कथन को इसके अपवाद के साथ समझाइये । **4**

अथवा

"निष्फलता का सिद्धांत" की विवेचना करें ।

(C) उत्तर दें : **4**

(1) निविदा क्या है ?

(2) एवज (consideration) को परिभाषित करें ।

अथवा

उत्तर दें :

(1) करार पालन के चार उपायों के नाम बताएँ ।

(2) नया करार क्या है ?

3. (A) विभिन्न प्रकार के आबकारी शुल्क बताएँ । **6**

अथवा

"एण्टी-डम्पिंग कस्टम ड्यूटी" समझाएँ ।

(B) सेन्वेट और सेन्वेट क्रेडिट क्या है ? **4**

अथवा

"आधारी (बेसिक) कस्टम ड्यूटी" समझाइये ।

(C) परिभाषा दीजिए : (कोई **दो**) **4**

कारखाना, उत्पाद शूल्क योग्य माल, उत्पादक, छूटक विक्रय कीमत

अथवा

परिभाषा दीजिए : (कोई **दो**)

माल, अभिकर (ड्यूटी) योग्य माल, निर्यात, आयात

4. (A) 'बिक्री' और 'बिक्री के लिए समझौता' के बीच अन्तर बताएँ । **6**

अथवा

अदत्त विक्रयकर्ता के ग्रहणाधिकार के अधिकारों (unpaid seller's right of lien) को समझायें ।

(B) "क्रेता सावधान" (Caveat Emptor) के सिद्धांत को समझायें । **4**

अथवा

माल (goods) के प्रकार बताएँ ।

(C) उत्तर दें : **4**

(1) सुपुर्दगी क्या है ?

(2) माल की परिभाषा दीजिए ।

अथवा

उत्तर दें :

(1) खुला बाजार में विक्रय क्या है ?

(2) C.I.F. करार और F.O.B. करारों का अर्थ क्या है ?

5. बताएँ कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत : **14**

(1) आवश्यक नहीं कि सभी अमान्य करार अवैध हों ।

(2) एक प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट हो सकता है ।

(3) स्वीकृति परिशुद्ध और अनर्हित होनी चाहिए ।

(4) केवल मौन कपट नहीं है ।

(5) प्रतिग्राही की इच्छा अनुसार एवज होनी चाहिए ।

(6) विवाह के प्रतिरोध में किसी भी व्यक्ति का प्रत्येक करार प्रभावहीन है ।

(7) बीमा का करार जुआरी प्रकार का समझौता है ।

(8) नये करार के लिए एवज आवश्यक है ।

(9) आबकारी शुल्क माल की बिक्री पर नहीं अपितु उत्पादित माल पर वसूला जाता है ।

(10) लेबर कन्ट्रेक्टर, जो श्रमिकों की आपूर्ति करता है, वह निर्माता नहीं है ।

(11) 1-3-2003 से मूल सीमाशुल्क की सामान्य दर 25% है ।

(12) कार्यवाही योग्य दावे और धन माल हैं ।

(13) "खरीददार सावधान हो" नियम के लिए कोई भी अपवाद नहीं है ।

(14) एक अभुक्त (unpaid) विक्रयकर्ता के केवल क्रेता के विरुद्ध अधिकार हैं, लेकिन माल के विरुद्ध नहीं हैं ।